उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-173/2017/1470/92-2-17-91जांच/14

लखनऊ:: दिनांक:: 03 अक्टूबर, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद गोण्डा में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनान्तर्गत कराये गये कार्यो की एन0क्यू0एम0 एवं एस0टी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा की गयी निरीक्षण आख्या में पायी गयी अनियमितताओं एवं समय से कार्य न कराये जाने हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-01/5511/92-2014-91जांच/14 दिनांक 02-01-2015 द्वारा श्री बाबूलाल रावत, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, पी0आई0यू0-2, गोण्डा के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक जॉच संस्थित करते हुये जॉच के सम्पादनार्थ मुख्य अभियंता,(प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को जॉच अधिकारी नामित किया गया। कालान्तर में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1082/92-2-16-91जांच/2014 दिनांक 06-06-2016 द्वारा जॉच अधिकारी परिवर्तित करते हुये मुख्य अभियंता (प0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के स्थान पर मुख्य प्राविधिक परीक्षक, टी0ए0सी0 को जॉच अधिकारी नामित किया गया। इसी मध्य अपचारी अधिकारी, श्री बाबूलाल रावत के अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31-07-2016 को सेवानिवृत्त हो जाने के दृष्टिगत शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-16/2017/42/92-2-2017-91जांच/2014 दिनांक 10-01-2017 द्वारा श्री रावत के विरूद्व उक्त नियमावली के नियम-7 के अंतर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए में परिवर्तित कर दिया गया।

2- जॉच अधिकारी/श्री शैलेष अग्रवाल, मुख्य प्राविधिक परीक्षक के पत्र दिनांक 14-10-2016 द्वारा जॉच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। जॉच अधिकारी की उक्त जॉच आख्या में अपचारी अधिकारी, श्री बाबूलाल रावत पर अधिरोपित कुल 03 आरोप आंशिक रूप से सिद्व पाये जाने पर उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत शासन के पत्र संख्या-45/92-2-17-91जांच/14 दिनांक 10-01-2017 द्वारा अपचारी अधिकारी को जॉच आख्या की प्रति उपलब्ध कराते हुये जॉच आख्या में स्थापित पाये गये आरोपों के संबंध में अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 21-08-2017 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया।

3- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या, अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त प्रकरण में शासकीय क्षति परिलक्षित न होने तथा श्री बाबूलाल रावत, तत्कालीन सहायक अभियंता के अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31-07-2016 को सेवानिवृत्त हो जाने के दृष्टिगत शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 02-01-2015 द्वारा श्री बाबूलाल रावत, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, पी0आई0यू0-2, गोण्डा के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

**संख्या-173/2017/1470(1)/92-2-2017 तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री बाबूलाल रावत,तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-2, गोण्डा द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, (स्था0-1) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र नाथ सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।